न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश –नवम् , जहानाबाद ।

अग्रिम जमानत याचिका सं0–453/2026

{ सम्बन्धित घोषी (ओकरी) थाना कांड सं0–44/2026, अंतर्गत धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 76, 303(2), 110, 329(4) बी.एन.एस }

1. रामाशीष यादव उर्फ रामाशीष प्रसाद **पिता–स्व0 डाक यादव उर्फ मुंशी यादव** **उम्र–45 वर्ष,**
2. मंटुश यादव उर्फ मंटुश कुमार **पिता–अर्जुन यादव** **उम्र–30 वर्ष,**
3. शांति देवी **पति–समीन्द्र यादव** **उम्र–50 वर्ष।**
सभी साकिन–ग्राम बाजीतपुर, थाना घोषी (ओकरी), जिला जहानाबाद।

.....**याचिकाकर्तागण**

बनाम्

बिहार सरकार

उपस्थितः
याचिकाकर्त्ता की ओर से– श्री सुरेश प्रसाद सिंह (विद्वान अधिवक्ता)
विपक्षी की ओर से– श्री रामबच्चन प्रसाद (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

05.05.2026 आवेदक–अभियुक्तगण **रामाशीष यादव उर्फ रामाशीष प्रसाद, मंटुश यादव उर्फ मंटुश कुमार एवं शांति देवी** की ओर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं की गयी है और न ही किसी अन्य न्यायालय में लंबित है। आवेदक मंटुश कुमार के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक रामाशीष कुमार के विरुद्ध पूर्व से दो आपराधिक मुकदमा–घोषी थाना कांड संख्या–399/2025 एवं 414/2025 दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर मुक्त है तथा आवेदिका शांति देवी के विरुद्ध पूर्व से केस नं0–390/2025 एवं 414/2025 दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर मुक्त है। प्राथमिकी में जिस लूट की घटना बताया गया है, उस तरह की कोई घटना नहीं की गई है और न घटी है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया है ।

अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 26.01.2026 को रात करीब 9:30 बजे बिट्टु कुमार, नीतीश कुमार, रामबली यादव, अजीत यादव, सिंकु देवी, रानी कुमारी, विद्यानंद यादव, बेबी देवी, रामाशीष यादव, दिलखुश कुमार, सुधीर यादव, रौशन कुमार, शांति देवी, नंद यादव, मंटुश यादव सभी

Web Copy

लगातार
05.05.2026

लाठी–डंडा तथा हथियार से लैस होकर सूचिका के घर में घुस गये, जब सूचिका ने इसका विरोध किया तो बिट्टु कुमार सूचिका का बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिये, जिससे सूचिका के सिर में चोट लगी। इसी क्रम में रामाशीष यादव, विद्यानंद यादव तथा रामबली यादव लात और घुसे से सूचिका के शरीर व पेट पर मारे, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। मारपीट के दौरान अजीत यादव तथा विद्यानंद यादव द्वारा सूचिका की साड़ी जबरदस्ती खींचकर बुरी नियत से फाड़ दिया गया, जिससे वह अर्धनग्न हो गई। जब सूचिका के पति अरविंद यादव उसे बचाने आयें तो अभियुक्त मंटुश यादव, नन्द यादव एवं रौशन यादव ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। रानी कुमारी, बेबी देवी तथा शांति देवी ने भी सूचिका के साथ लाठी–डंडे से मारपीट किया था। उन लोगों के द्वारा सूचिका के घर से करीब 1 लाख रुपया चुरा लिया गया। घटना का मुख्य कारण सूचिका के द्वारा मुदालय के परिवार के ऊपर महिला थाना कांड संख्या–44/2025 में जबरदस्ती सुलह करने तथा केस खत्म करने के लिए है।

जमानत याचिका पर उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी एवं केस दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से यह विदित होता है कि यह प्रासंगिक वाद आवेदक–अभियुक्तगण रामाशीष यादव, मंटुश यादव, शांति देवी सहित कुल 15 अभियुक्तों के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 76, 303(2), 110, 329(4) के तहत दर्ज करायी गई है। प्राथमिकी में आवेदक–अभियुक्तों के विरुद्ध यह आरोप है कि सूचिका द्वारा पूर्व में किये गये केस–महिला थाना कांड संख्या–44/25 में जबदस्ती सुलह करवाने हेतु, आवेदकगण अन्य सह–अभियुक्तों के साथ लाठी–डंडा एवं हथियार से लैश होकर सूचिका के घर में घुस कर सूचिका एवं उसके पति अरविंद यादव के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिये तथा घर से एक लाख रुपये चुरा लिये। केस दैनिकी की कंडिका–8, 9 एवं 23 में क्रमशः साक्षीगण–ग्रामीण साक्षी योगेन्द्र यादव, अर्जुन प्रसाद यादव एवं स्वतंत्र साक्षी सरोज यादव का बयान अंकित है, जिसमें इन सभी साक्षियों ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्ष बार–बार मारपीट करते रहते हैं तथा मारपीट के दौरान कोई किसी प्रकार का जेवर एवं रुपया किसी का ना छिनते/चुराते नहीं देखे हैं। केस दैनिकी की कंडिका–22 में जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें प्रासंगिक कांड में प्रा0 स्वा0 केन्द्र, ओकरी मोदनगंज, जहानाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जख्मी गुड़िया देवी/सूचिका एवं अरविंद यादव का जख्म प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें जख्मी गुड़िया देवी/सूचिका के शरीर पर निम्नलिखित जख्म पाया गया है:–

- 1- Abrasal Swelling and pain on whole body and waist of size ¼" x ¼'' .
- Nature of Injury- Simple

जख्मी अरविंद यादव के शरीर पर निम्नलिखित जख्म पाया गया है:–

- 1- Abrasal Swelling and pain on left leg of size ¼" x ¼'' .

Web Copy

लगातार
05.05.2026

- Nature of Injury- Simple

आवेदक–अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के अवलोकन करने पर यह भी विदित होता है कि केस दैनिकी की कंडिका–15 में आवेदकगण रामाशीष यादव, मंटुश यादव एवं शांति देवी के विरुद्ध पूर्व से अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। परन्तु बचाव पक्ष द्वारा जमानत याचिका की कंडिका–3 में आवेदक रामाशीष यादव एवं आवेदिका शांति देवी के विरुद्ध पूर्व से दो आपराधिक मुकदमा का दर्ज होना वर्णित किया गया है, जिसमें वे जमानत पर हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदकगण के विरुद्ध प्राथमिकी में मारपीट करने का विशिष्ट आरोप नहीं है बल्कि उनके विरुद्ध मारपीट करने का सामान्य आरोप है तथा प्रासंगिक वाद अभी अनुसंधान अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक–अभियुक्तगण **रामाशीष यादव उर्फ रामाशीष प्रसाद, मंटुश यादव उर्फ मंटुश कुमार एवं शांति देवी** के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर आवेदक के उपस्थित होने पर या उस अवधि में गिरफ्तार होने पर उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर 15,000/– पन्द्रह हजार रूपये की राशि के दो–दो समान प्रतिभूओं वाले बन्ध पत्र दाखिल करने पर बी.एन.एस.एस. की धारा 482(2) के शर्तों एवं निम्नलिखित शर्तों के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि :–

1. 1) दोनों जमानतदार पर्याप्त अचल सम्पति के धारक होंगें, स्थानीय होगें तथा सिविल कोर्ट जहानाबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगें।

- 2) आवेदक–अभियुक्तगण इस वाद से संबंधित गवाहों को पुलिस अधिकारी के समक्ष मामले के तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे किसी प्रकार की उत्प्रेरणा या धमकी नहीं देगा,
- 3) आवेदक–अभियुक्तगण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगें,
- 4) आवेदक /अभियुक्तगण भविष्य में प्रासंगिक कांड के समान प्रकृति के अपराध नहीं करेंगें। यदि आवेदकगण के द्वारा भविष्य में प्रासंगिक कांड के समान प्रकृति का अपराध किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदक का जमानत बन्ध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र रहेगें।
- 5) आवेदकगण के जमानतदारों में एक जमानतदार आवेदक के नजदीकी रिश्तेदार होगें तथा इस आशय का वंशावली दाखिल करेगें।

Web Copy

लगातार
05.05.2026

उक्त निर्देशों के संबंध में आवेदक–अभियुक्तगण वचन–पत्र (Undertaking) दाखिल करेगें एवं कार्यालय आदेश की प्रति को संबंधित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करें।

लेखापित
S/d
(निहारिका)
अपर सत्र न्यायाधीश नवम्
जहानाबाद।
दिनांक–05.05.2026

Web Copy